राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–पं. 15(3)कार्मिक/क–2/2013पार्ट जयपुर, दिनांकः

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः–राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम 2020) के तहत नियुक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में।

राज्य में राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 के प्रावधानानुसार राजस्थान के क्रीड़ा पदक विजेताओं को उक्त नियमों में उल्लेखित पदों पर नियुक्तियां प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सेवा नियमों के अधीन पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताओं पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा और ऐसे मामलों में सशर्त नियुक्ति दी जा सकेगी किन्तु ऐसे नियुक्त खिलाडियों को पांच वर्ष की कालावधि के भीतर–भीतर शैक्षणिक अर्हताएं एवं एक निश्चित कालावधि में वांछित वृत्तिक अर्हताएं अर्जित करनी होगी। जिसमें विफल रहने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता हैं कि इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों द्वारा वांछित शैक्षणिक अर्हता एवं वृत्तिक अर्हताओं को पूर्ण करने के साथ ही 02 वर्ष का परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया गया हो, का नियमितिकरण कर नियमानुसार वेतन श्रृंखला एवं वेतन वृद्धियॉ देय होंगी एवं जिन कार्मिकों द्वारा दो वर्ष के परीवीक्षाकाल को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता या वांछित वृत्तिक अर्हता या दोनो ही पूर्ण नहीं की गई है का वेतन निर्धारण किया जाकर वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमानुसार देय होगी परन्तु इन कार्मिकों को पद से संबंधित निर्धारित अर्हताओं एवं वांछित वृतिक अर्हताओं (Professional qualification) को पांच वर्ष की निर्धारित कालावधि में नियमानुसार पूर्ण किया जाना होगा, जिसमें विफल रहने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि संदर्भित नियुक्ति नियमों, नियुक्ति आदेश शर्तों एवं दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।

इस पर वित्त विभाग की सहमति उनकी आई डी क्रमांक 212400262 दिनांक 16.04.2024 के द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref 7190725

Document certified by HEMANT KUMAR GERA <hkgera@gmail.com>.
Digitally Signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date :12-06-2024 10:32:27

35/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
5. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
7988910

Signature valid
Digitally signed by Dinesh Kumar Sharma
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.06.12 15:59:27 IST
Reason: Approved